भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1143
जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक/क्षेत्रीय पीठों की स्थापना

1143. श्री कल्याण बनर्जी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्थायी संवैधानिक/ क्षेत्रीय पीठों की स्थापना का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त पीठों की स्थापना नहीं किए जाने और/अथवा विलंब के कारण, यदि कोई हो, तो क्या हैं तथा विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय अपील न्यायालय (एनसीए) की स्थापना के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संवैधानिक व्याख्या से संबंधित कितने मामले पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे ।

2. देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । ग्यारहवें विधि आयोग ने वर्ष 1988 में प्रस्तुत “उच्चतम न्यायालय- एक नया दृष्टिकोण” शीर्षक वाली अपनी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो भागों, अर्थात् (i) दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय और (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में बैठने वाला अपील न्यायालय या संघीय न्यायालय, में विभाजित करने के लिए दसवें विधि आयोग द्वारा उसकी 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को दोहराया, अठारहवें विधि आयोग ने 2009

में प्रस्तुत अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक संवैधानिक न्यायपीठ स्थापित की जाए और उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई/हैदराबाद, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में चार कैसेशन न्यायपीठें स्थापित की जाएं ।

3. यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास भेजा गया, जिन्होंने बताया कि मामले पर विचार करने के पश्चात्, पूर्ण न्यायालय ने तारीख 18 फरवरी, 2010 को हुई अपनी बैठक में यह पाया कि दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इससे पहले अगस्त, 2007 में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे ।

4. राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका डब्ल्युपी(सी) संख्या 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 13.07.2016 के निर्णय द्वारा उपरोक्त मुद्दे को प्राधिकारयुक्त निर्णय के लिए संवैधानिक न्यायपीठ को निर्दिष्ट करना उचित समझा । मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है ।

(ग) : भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार तारीख 26.11.2025 तक पांच वर्ष से अधिक लंबित संवैधानिक निर्वचन से संबंधित मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

(i) पांच-न्यायाधीशों की न्यायपीठः 10
(ii) सात-न्यायाधीशों की न्यायपीठः 03
(iii) नौ-न्यायाधीशों की न्यायपीठः 02

****